न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही

बईजलास पीठासीन अधिकारी हसमुख कुंमार (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.प.संख्या 23 / 19

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
भगवतीलाल पुत्र श्री लौगरजी मेघवाल जाति मेघवाल आयु 42 वर्ष पेशा खेती निवासी 41 नया गांव खाखड तहसील झाडोल जिला उदयपुर (राज.)।		राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार सिरोही तहसील व जिला सिरोही (राज.)।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही (राजस्थान)

" राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम और दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड "

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्धान वकील श्री ऋषि माथुर
2. अप्रार्थी स्टेट की ओर से श्री पैरोकार सरकार सिरोही

आदेश

दिनांक 17.09.2019

प्रार्थी ने यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते तरमीम और दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड हेतु इस न्यायालय में दिनांक 03.05.2019 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम धान्ता पटवार हल्का धान्ता भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कृष्णगंज तहसील व जिला सिरोही (राज.) में प्रार्थी के खातेदारी, कब्जे काश्त और हक अधिकार की कृषि भुमि आई हुई है जिसके खाता संख्या 22 खसरा नम्बर 977 रकबा 01.6200 हेक्टेयर है जिसका उल्लेख सलंग्न राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2071– 2074 मे स्पष्ट रूप से किया हुआ है उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के भूप्रबन्ध से पुर्व के पुराने खसरा नम्बर 652 मी. छः सौ बावन मी. है। उक्त पुराने व नये खसरा नम्बरान के मिलान क्षैत्रफल की नकल भी प्रार्थना पत्र के साथ मे संलग्न है। उक्त कृषि भुमि पर कब्जा काश्त और हक अधिकार प्रार्थी का ही खरीद की तिथी से लगातार बिना रूकावट और शान्तिपूर्वक तरिके से चला आ रहा है

प्रार्थी ने आगे निवेदन किया की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के पुराने खसरा नम्बर 652 मी. है उक्त खसरा संख्या 652 मी. बहुत बडा चक रहा है जिसमे से गरिब काश्तकारो को भूमि का आवटंन टुकडो के रूप में होता रहा है। उक्त खसरा नम्बर 652 मी. मे से 10 बीघा कृषि भूमि का आवटंन श्री हंसाराम को हुआ था हंसाराम ने उक्त भूमि का विक्रय कानाराम, ढेमाराम, छगनलाल पिसरान मालारामजी मेघवाल को आज ये 17–18 वर्षो पूर्व में किया था और उक्त तीनो भाईयो कानाराम, ढेमाराम, छगनलाल ने उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 977 का विक्रय सन 2015 में प्रार्थी को किया था तब से प्रार्थी उपरोक्त खरीदशुदा भूमि पर कब्जा धारण किए हुए हैं। प्रार्थी का खसरा संख्या 977 की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त अपने पूर्व के खातेदारान के जरिए पिछले कई वर्षो से लगातार और शान्तिर्पूवक तरिके से चला आ रहा है लेकिन वर्तमान भूप्रबन्ध के दौरान उपरोक्त खसरा संख्या 977 की कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड नक्शे मे तरमीम नही किया है। जिससे प्रार्थी को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। उक्त त्रुटी राजस्व

Continue Page-2

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज•)

कर्मचारीयो की भूल से हुई है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी के उक्त खातेदारी और कब्जे काश्त की कृषि भूमि की सीमा निर्धारण मे हर पल विवाद की स्थिति भी बनी रहती है जिससे उक्त कृषि भूमि को नक्शे (असल लठठा) मे तरमीम किया जाना अतिआश्यक है। राजस्व कर्मचारीयो से हुई उक्त त्रुटी से प्रार्थी के हक अधिकारो के प्रति व अन्य कई कार्यो मे शंका उत्पन्न हो रही है ।

प्रार्थी ने आगे यह भी कथन किया है कि खसरा संख्या 977 नौ सौ सतत्तर (पुराने खसरा संख्या 652 मी.) की कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त खरीद की तिथी से लगातार है और विक्रेता ने भी प्राथी को खरीदशुदा भूमि पर ही काबिज कराया है लेकिन राजस्व कर्मचारीयो ने उक्त कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड (असल लठठा) नक्शे मे तरमीम नही किया है उक्त तरमीम नही किए जाने से प्रार्थी के खातेदारी की उक्त कृषि भूमि के सीमा निर्धारण में भी शंका उत्पन्न होती है और उक्त त्रुटी मात्र सेटलमेन्ट के दौरान ही हुई है जिसका दुरूस्तीकरण किया जाना न्यायाहीत में अतिआवश्यक है। राजस्व रेकर्ड (असल लठठा) में उक्त तरमीम नही किए जाने से प्रार्थी को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। राजस्व रेकर्ड मे उक्त तरमीम नही होने से प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारो और मौके की स्थिति के प्रति शंका एंव व्यवधान उत्पन्न हो रहे है। जिससे प्रार्थी के विधिक कार्यवाही मे रूकावट भी पैदा हो रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी, मिलान क्षैत्रफल के अवलोकन व मनन के पश्चात प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से यह न्यायालय प्रथम दृष्टया सहमत होने से दिनांक 10.05.2019 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब हेतु दिनांक 28.05.2019 को नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी स्टेट को नोटिस की तामीली के पश्चात अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही ने जवाब कमांक/रीडर/2019/580 दिनांक 30.08.19 न्यायालय मे दिनांक 03.09.2019 को प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 03.09.2019 को पत्रावली में शामिल मिशल किया गया ।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में प्रार्थी के सभी तथ्यो को स्वीकार किया व अंकित किया कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम धान्ता मे स्थित है जिसके खसरा संख्या 977 रकबा 01.62 हेक्टेयर है जिसकी किस्त चाही–3 दर्ज है। खसरा संख्या 977 राजस्व रेकर्ड में पूख्ता दर्ज है एंव दो सीटो की मिजान पर दर्ज है। लेकिन असल लठठा ट्रेस मे खसरा संख्या 977 तरमीमशुदा नही है जिससे माननीय न्यायालय के आदेश पर असल लठठा ट्रेस मे खसरा संख्या 977 तरमीम किया जा सकता है। विचारण प्रकरण में वकील प्रार्थी एंव अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार की अंतिम बहस इस न्यायालय में दिनांक 16.09.2019 को रखी गई जिस पर वकील प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार ने न्यायालय में उपस्थित होकर इस प्रकरण में अंतिम बहस करने से मेरे द्वारा अंतिम बहस सुनी गई। बहस के दौरान अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र व जवाब में वर्णित तथ्यो को स्वीकार किया, शुद्दीकरण किया जाना विधि सम्मत माना, साथ ही असल लठठा ट्रेस मे खसरा संख्या 977 तरमीम किया जाना भी आवश्यक बताया, साथ ही उन्होनो निवेदन किया की उपरोक्त त्रुटी केवल लिपीकीय त्रुटी है जिससे माननीय न्यायालय असल लठठा ट्रेस मे खसरा संख्या 977 तरमीम करती है तो उन्हे कोई आपत्ती नही है

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया और पत्राावली का भी गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का विरूद्व स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड में ईन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा

Continue Page-3

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज॰)

तहसीलदार सिरोही (भूमिधारी अधिकारी) को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम धान्ता पटवार हल्का धान्ता भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कृष्णगंज तहसील व जिला सिरोही (राज.) मे स्थित प्रार्थी के खातेदारी, कब्जे काश्त और हक अधिकार की कृषि भुमि खसरा संख्या 977 रकबा 01.62 हेक्टेयर मूल राजस्व रेकर्ड मे पूख्ता दर्ज है एंव दो सीटो कि मिजान पर दर्ज है उसी माफिक खसरा संख्या 977 रकबा 01.62 हेक्टेयर को राजस्व रेकर्ड (असल लठठा) ट्रेस मे भी तरमीम किया जावे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 17.09.2019 को मेरें हस्ताक्षर एंव इस न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.21 15:05:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: